अनुसूची 21—फारम सं0—113

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 20 आवेदन सं0 2955

चूँकि श्री pavas nath pal

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का निर्मोचन प्रमाण-पत्र दिया जाये।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में मेरी और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता0 2009 20 से ता0 30/1/14 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला चला है अत: अवभार मुक्त

क्र0सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारिख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के ग्र0 निदेश		
				निष्पादक	हकदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5		7	8	9
	mauza phulwari P.S phulwari person 25 plot no 1030 khatian 248 Area 5 kathas 5 dhurs.							

पवन कुमार

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।

2. बंधक–पत्र की दिशा व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मै यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुर्क्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालयः

तारीखः 27/3/18

जिला अवर निबंधक का कार्यालय

27/3/18

सुस्त एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :– इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों की निबंधित दस्तावेजों में दिखया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति (बाहयों) और अनुक्रमाणियाँ (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण–पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वंय करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमाणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(अ) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वंय तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रामण–पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक, 3131

ज्ञाप संख्या..... दिनांक 27/3/18

आवेदक श्री Pavan Nath Pal

का ऋणभार प्रमाण–पत्र द्वारा manager S.B.I. Pathar Mandi

का उनके पत्र संख्या..... दिनांक 23/3/18 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,
23/3/18
Pathar

अनुसूची 21– प्ररूप संख्या – 1131

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं0 971 19। आवेदन सं0 1307 19

दृष्टि की – [illegible] ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध के निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का संक्षिप्त प्रमाण-पत्र दिया जाय,

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिकों से ता0 31-04-14 19 से ता0 ____ 19 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है 26/3/18

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की [illegible] के प्रति विवरण		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं0	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]								
0/10 – 4391			748	1030	0592			
210					0592			
B10 – 4291								
0/1000 35								

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1 बंधक-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में _____

2 पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण–पत्र तयार किया :–

(हस्ताक्षर) –

(पदनाम) –

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण–पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) –

(पदनाम) –

कार्यालय – 310-170- 26/3/2018

तारीख 26-3-18

निबन्धन प्राधिकारी का हस्ताक्षर

26/3/18 दिनांक 26-3-18

टिप्पणी – इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं; यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निरूपित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(i) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) को प्रविष्टियां देखना चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण–पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित शुल्क का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेगी।

(ii) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपनी तलाशी अपने सरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(iii) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा पाये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण–पत्र में दिया गया है। इसलिए आवेदक द्वारा न ढूंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों को हटाने के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

आपके पत्र दिनांक 26-3-18

प्रतिलिपि:- आवेदक, भारतीय स्टेट बैंक, आवेदन पत्र के अनुसार।

10:40

26-3-18

अनुसूची 21–फारम सं0–113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 20 आवेदन सं0 2958 20..18.....

चूँकि श्री Shanti Devi

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का विवरण प्रस्तुत पत्र दिया जाये।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता0 2008 20 से ता0 30/1/18 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है अर्थात्

क्र0सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारिख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	mauza phulwari p's phulwari area 35 plot no 1030 khatian 348 area 1 kattha 10 dhur.							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।
2. बंधक–पत्र की दिशा व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मै यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुर्क्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रगाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर): Ashish Kerna

(पदनाम):

कार्यालयः patna

तारीखः 27/3/18

अवर निबंधक का कार्यालय पटना

27/3/18

सहायक एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :– इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति (बाहयों) और अनुक्रमाणियाँ (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण–पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वंय करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(ग) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वंय तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी, स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रामण–पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक 3132

ज्ञाप संख्या 3132 दिनांक 27/3/18

आवेदक श्री Shanti Devi

का ऋणभार प्रमाण–पत्र द्वारा manager SBI patna branch

का उनके पत्र संख्या दिनांक 23/3/18 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,
27/3/18 patna

अनुसूची 21– प्रपत्र संख्या – 1131

संपत्ति अभभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र . सं० 8720 19 | आवेदन सं० 1306 19

चूंकि श्री 2120 29.9.14 ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध के निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय,

(आवेदन में दिये गये सत्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मुजल संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों से ता० 31-01-14 19 से ता० 19 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है 26/3/15

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्र- के प्रति विवरण		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मौजा-धमगढ़ी							
2/10	धमगढ़ी 2104		748	1030	0192			
310	4291				10291			
2/1000	35							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक–पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण–पत्र तयार किया :–

(हस्ताक्षर) –

(पदनाम) –

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण–पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) –

(पदनाम) –

कार्यालय – उप-पंजीयक

तारीख 26-3-18

मुहर

निबन्धन अधिकारी का हस्ताक्षर

26-3-18

टिप्पणी – इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं : यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों को निरूपित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(ख) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण–पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेंगी।

(ग) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपनी तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(घ) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा पाये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण–पत्र में दिया गया है। इसलिए आवेदक द्वारा न चुने गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों को छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति प्रभावित होता हो।

आपके पत्र दिनांक 26-3-18

प्रतिलिपि:- आवेदक, मालिम रेड बैंक आवेदन पत्र के संदर्भ।

उप-पंजीयक

26-3-18